GENERAL ADMINISTRATION
(GENERAL SERVICE)

The 9th September, 1981

No. 17/14/3GSI-81.—Consequent upon his appointment as an Additional Judge of Punjab and Haryana High Court, Chandigarh.— *vide* Government of India, Ministry of Law and Justice, New Delhi, Notification No. 61/1/81-Jus. dated the 29th August, 1981, Shri Birendra Singh Yadav, Legal Remembrancer and Secretary to Government Haryana, Law and Legislative Department, relinquished the charge of this post on the afternoon of 31st August, 1981.

ISHWAR CHANDRA,
Chief Secretary to Government, Haryana.

SERVICES

The 10th September, 1981

No. 59/76/81-S(I).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the Governor of Haryana is pleased to appoint Shri R.D. Garg, IAS as an Executive Magistrate in the Rohtak District from the date he took over charge of such duties in the district and is further pleased to appoint him to be the District Magistrate of the Rohtak District.

NASEEM AHMED,
Joint Secretary.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 11 अगस्त, 1981

क्रमांक **1389-ज(I)-81/28208**—श्री खेम चन्द, पुत्र श्री राम चन्द, गांव जागसी, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, की दिनांक 14 अक्तूबर, 1980 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री खेम चन्द को मुद्दिलग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2283-ज(I)-72/32282, दिनांक 29 अगस्त, 1972 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती लक्ष्मी देवी के नाम खरीफ, 1981 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अंतर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 17 अगस्त, 1981

क्रमांक **431-ज(I)-81/29155**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री जय नारायण, पुत्र श्री राम जीवन, ग्राम गौठड़ा टप्पा खोरी, तहसील रिवाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़ को रबी, 1975 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **506-ज(I)-81/29151**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उन के नाम के सामने दी गई फ़सल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

| क्रमांक | जिला | जागीर पाने वाले का नाम | गांव व पता | तहसील | फ़सल/वर्ष जब से जागीर दी गई | वार्षिक राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | रुपये |
| 1 | भिवानी | श्री मातल राम, पुत्र श्री सुख लाल | सांवड़ | दादरी | खरीफ़, 1976 से खरीफ, 1979 तक | 150 |
| | | | | | रबी, 1980 से | 300 |

| क्रमांक | जिला | जागीर पाने वाले का नाम | गांव व पता | तहसील | फसल/वर्ष जब से जागीर दी गई | वार्षिक राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | रुपए |
| 2 | भिवानी | श्री कांशी राम, पुत्र श्री सोहन लाल | छपार | दादरी | रबी, 1976 से खरीफ, 1979 तक | 150 |
| | | | | | रबी, 1980 से | 300 |
| 3 | ,, | श्री शो नाथ, पुत्र श्री भोला राम | बादल | ,, | रबी, 1974 से खरीफ, 1979 तक | 150 |
| | | | | | रबी, 1980 से | 300 |

क्रमांक **1350-ज(I)-81/29287.**—श्री हरी राम, पुत्र श्री परस राम, गांव द्वारका, तहसील दादरी, जिला भिवानी की दिनांक 7 अगस्त, 1980 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3 (1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हरी राम को मुल्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 443-ज-I-76/11471, दिनांक 15 अप्रैल, 1976 तथा भ. स. के 1709-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मन्जूर की गई थी अब उसकी विधवा श्रीमति मरमन के नाम रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

देस राज सतीजा,

विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

## FINANCE DEPARTMENT

**(Regulations)**

The 27th August, 1981.

No 6 I 7/79-ERI:— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Punjab Civil Services Rules Volume I Part-I, in their application to the State of Haryana namely: —

1. These rules may be called the Punjab Civil Services, Volume I, Part (1) (Haryana Fourth Amendment) Rules, 1981.

2. In the Punjab Civil Services Rules Volume I, Part-I in rule 3. 6 for clause (a), the following clause shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 7th December, 1979, namely: -

"A person whose age exceeds 30 years shall not ordinarily be admitted into pensionable service under the Government."

T. K. BANERJI,

Secretary to Government Haryana,
Finance Department.